न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 109/2025 G.C.M.S. No. 2025/598 दर्ज दिनांक : 28.08.2025

अपीलार्थी:

1. संतोष पुत्र जालुराम, आयु वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. अब्दुल रहमान, आयु वयस्क
2. न्याजा मोहम्मद, आयु वयस्क
3. अब्दुल गफार, आयु वयस्क
4. अब्दुल हकीम, आयु वयस्क
5. इशाक मोहम्मद, आयु वयस्क पि. बाबूखां, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
6. पीरूखां, आयु वयस्क
7. इब्राहीम मोहम्मद, आयु वयस्क
8. अब्दुल रजाक, आयु वयस्क पि. दीनाखां, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

खाजूखां के कायम मुकाम:–

9. अजीज खां, आयु वयस्क के कायम मुकाम:–
   - 9/1 मुमताज पत्नि अजीज खां, आयु वयस्क
   - 9/2 रफीक मोहम्मद पुत्र अजीज खां, आयु वयस्क
   - 9/3 अशरफ मोहम्मद पुत्र अजीजा खां, आयु वयस्क
   - 9/4 इदरीश पुत्र अजीजा खां, आयु वयस्क
   - 9/5 तौफिक मोहम्मद पुत्र अजीजा खां, आयु वयस्क, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
10. अहमद खां, आयु वयस्क
11. सफीखां, आयु वयस्क
12. साबीरखां पि. खाजुखां, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
13. जन्नत बानो पुत्री खाजूखां, आयु वयस्क
14. जेबुन बानो पुत्री खाजूखां, आयु वयस्क, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

अब्दुल सत्तार के कायम मुकाम:–

15. असलमखां, आयु वयस्क
16. इमरानखां, आयु वयस्क
17. शोकत अली, आयु वयस्क पि. अब्दुल सत्तार
18. आमीन बानो पुत्री अब्दुल सत्तार, आयु वयस्क
19. रोशनी बानो पुत्री अब्दुल सत्तार, आयु वयस्क
20. बिलकिश बानो पत्नि अब्दुल सत्तार, आयु वयस्क
21. जावेद पुत्र रहमान, आयु वयस्क

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

22. रोशन पत्नि रहमान, आयु वयस्क, जातियान धोबी मुसलमान, निवासीगण बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
23. हीरालाल पुत्र जालूराम, आयु वयस्क
24. किशोरकुमार पुत्र बाबूलाल, आयु वयस्क
25. संतोष पत्नि किशोरकुमार, आयु वयस्क, जातिगण मेघवाल, निवासी बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
26. ससेज पत्नि गोविंदराम, आयु वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी मेगड़दा

नोजी बेवा भगवान के कायम मुकाम:-

27. नारायणलाल पुत्र जालूराम गोदीपुत्र भगवानराम, जाति मेघवाल, निवासी बर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
28. घीसीदेवी पत्नि बस्तीराम, आयु वयस्क, जाति सरगरा, निवासी बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
29. तहसीलदार रायपुर
30. उप-पंजीयन अधिकारी, रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 बअनवान अब्दुल रहमान वगैरह बनाम तहसीलदार रायपुर में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

पैरोकार-

1. अपीलांट स्वयं।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, श्री इमरान खान, श्री हिमालय परिहार, श्री जयदीपसिंह, श्री विक्रम कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 बअनवान अब्दुल रहमान वगैरह बनाम तहसीलदार रायपुर में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि हस्तगत प्रकरण में वक्त सेटलमेन्ट से पुश्तैनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-बिराटिया कलां के खसरा नम्बर 921 रकबा 9.15 बीघा, खसरा नम्बर 930 रकबा 8.14 बीघा 931 रकबा 22.11 बीघा कुल तीन खसरान् का कुल रकबा 41.00 बीघा भूमि दीनाखांजी के इन्तकाल के बाद दीनाखांजी के विधिक वारिसान् खाजूखां, सत्तारखां, रज्जाकखां, इब्राहीम, पीरुखां पिसरान् दीनाखांजी 1/2 हिस्सा, कौम धोबी तथा नोजी बेवा भगवान 1/8 हिस्सा, जालूराम पुत्र आईदानजी 1/8 हिस्सा, बाबूलाल पुत्र संग्रामजी 1/8 हिस्सा, कौम भांबी निवासी बर, श्रीमती घीसीदेवी पत्नि बस्तीरामजी 1/8 हिस्सा,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कौम सरगरा, निवासी बिलाडा, जिला–जोधपुर बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 तक यथावत् वक्त सेटलमेन्ट से पुश्तैनी खातेदारी कब्जा–काश्त एवम् स्वामित्व की भूमि आई हुई हैं। वर्ष 1999 में रेस्पोडेण्ट पीरूखांजी ने तथा वर्ष 2000 में रेस्पोडेण्ट अब्दुल रहमान वगैराह ने राजस्व ग्राम–बिराटिया कलां के खसरा नम्बर 921, 930, 931 कुल तीन खसरान् का कुल रकबा 41.00 बीघा का माननीय अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद दायर करवाये, जो क्रमशः मुकदमा नम्बर 92/99 निर्णय दिनांक 28.07.2004 तथा मुकदमा नम्बर 226/08 (पुराना 105/2000) निर्णय दिनांक 26.09.2008 को निर्णित किये गये। रेस्पोडेण्ट पीरूखां की ओर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बंटवाडा व निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व सीमा बर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 0.15 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 31.15 बीघा, खसरा नम्बर 230 रकबा 22.04 बीघा, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.02 बिस्वा एवम् सरहद मौजा ग्राम–बिराटिया कलां की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 924 रकबा 17.13 बीघा, 921 रकबा 9.15 बीघा, खसरा नम्बर 930 रकबा 8.14 बीघा, खसरा नम्बर 931 रकबा 22.11 बीघा स्वर्गीय दीनाखांजी की खातेदारी होने से माफिक वंशावली अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 06 लगायत् 22 के भाईयों के सेटलमेन्ट से मुतनाजा जमीन पर शामलात काश्त करते आ रहे थें। मौके पर मौखिक रुप से भूमि अलग–अलग बंटी हुई हैं, मगर वैध सीमांकन के अभाव में भाई खाजूखां, अब्दुल सत्तार, रजाकखां, इब्राहीम मेडबन्दी को लेकर लड़ाई–झगड़ा करते हैं। उनके हिस्से में दखलअंदाजी करते हैं, इसलिये सम्पूर्ण कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा किया जाकर अलग–अलग भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें तथा उनके हिस्से में आई भूमि के कब्जा–काश्त की दखलअंदाजी को रोका जावें। उपरोक्त प्रकरण में अब्दुल सत्तार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जहां बाद रेस्पोडेण्ट पीरूखांजी व दीनाखांजी के वारिसान् के मध्य दिनांक 24.08.2002 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया, इस राजीनामा में दीनाखांजी के पाँचों पुत्रों के मध्य आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने में सहमति प्रदान की इस राजीनामा की पालना में दिनांक 22.12.2003 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी कर/प्राथमिक डिक्री एवं राजीनामा की प्रति तहसीलदार रायपुर को भेजकर इसकी पालना रिपोर्ट मंगवायी गयी। उक्त राजीनामा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत् 04 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मात्र बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर उक्त आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सादिर किया है जो सादिर आदेश जैर अपील काबिल खारिज के हैं। उक्त सादिर आदेश में नोजी लाऔलाद फौत होने का हवाला देते हुये उनके कायम मुकाम की जाँच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने सादिर आदेश जैर अपील निर्णय पारित किया है। प्रकरण में भूमि का विभाजन व लगान सह–खातेदारान् के मध्य हिस्से अनुसार सही दर्ज नहीं किये गये। रेस्पोडेण्ट नोजी बेवा भगवान जो खातेदार काश्तकार थीं, को दावे में पक्षकार ही नहीं बनाया गया, रेस्पोडेण्ट नोजी बेवा भगवान दावा दायर से पूर्व दिनांक 19.11.1992 को नारायण पुत्र जालूरामजी गोदीपुत्र भगवानरामजी को गोद ले रखा था एवम् नोजी की मृत्यु दिनांक 01.06.1995 को ही मृत्यु हो चुकी थीं। मृतक का विधिक प्रतिनिधि नारायण पुत्र भगवानजी को भी कायम मुकाम में पक्षकार नहीं बनाया गया। दावा निर्णय दिनांक 28.07.2004 तथा निर्णय दिनांक 26.09.2008 को मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की गयी तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदारी अधिकारों का अन्तरण अपने से भिन्न मुसलमान धोबी जाति के पक्ष में किया जाकर उनके स्वामित्व खातेदारी की कुल रकबा 10.05 बीघा भूमि से पूरा नाम व हिस्सा हटा दिये जो गम्भीर त्रुटि व आदेश में स्पष्ट अवैधानिकता प्रतीत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत् 04 की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर) के प्रकरण संख्या 35/2022 GCMS No- 2022/136 निर्णय दिनांक 07.11.2023 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 07.08.2025 को ऑनलाईन कम्प्युटर की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि फिर अपीलाण्ट ने दिनांक 08.08.2025 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 18.08.2025 को प्राप्त होने तथा वकील साहब को पढ़ाने पर वकील साहब ने कहा कि इसकी अपील पाली में होगी फिर वकील मेहनताना व अपील तैयार करवाकर आज नकल दिनांक से अन्दर अवधि पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्जा रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। हमनें अपीलांट एवं विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोंडेंट्स की बहस सुनी एवं लिखित तथा मौखिक बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अप्रार्थी सरकार के विरूद्ध आदेश 21 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/1999 (92/99) बअनवान पीरू खां बनाम खाजू खां में पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 22.12.2003 व अंतिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 की पालना करवाए जाने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.11.2023 द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 28 व 30 बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन के साथ विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत वाद में अपीलांट के पिता जालूराम पुत्र आईदान पक्षकार थें, जिनका देहांत हो जाने से वारिस के रूप में अपीलांट आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में अपीलांट सहित प्रश्नगत निर्णय व डिक्री के पक्षकारान को पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2003 एवं 28.07.2004 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में पक्षकार संयोजित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित अपीलाधीन प्रकरण में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा वादी एवं दीगर प्रतिवादीगण को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। लिहाजा, प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 लगायत् 04 की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर) के प्रकरण संख्या 35/2022 GCMS No- 2022/136 निर्णय दिनांक 07.11.2023 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 07.08.2025 को ऑनलाईन कम्प्युटर की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि फिर अपीलाण्ट ने दिनांक 08.08.2025 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 18.08.2025 को प्राप्त होने तथा वकील साहब को पढ़ाने पर वकील साहब ने कहा कि इसकी अपील घाली में होगी फिर वकील मेहनताना व अपील तैयार करवाकर आज नकल दिनांक से अन्दर अवधि पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
ब्यावर

5. हमारे विनम्र मत में यह निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट सहित वादीगण व दीगर प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक से ही अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। प्रकरण में अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया जाना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

6. अपीलाधीन निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार रायपुर के लिए आदेश 21 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 04/1999 (92/99) बअनवान पीरूखां बनाम खाजूखां वगैरह में पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 22.12.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 की अनुपालना करवाने बाबत निवेदन किया। वाद संख्या 92/99 (04/1999) में पारित प्रश्नगत डिक्रियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी पीरूखां है तथा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के साथ–साथ अपीलांट के पिता के अलावा दीगर प्रतिवादीगण भी पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा वादी एवं दीगर प्रतिवादीगण को पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए केवल तहसीलदार रायपुर को संयोजित कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबकि हस्तगत प्रकरण में सभी वादी व प्रतिवादीगण आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण त्रुटि पर कोई गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनन भूल की हैं।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2003 को पारित प्रारंभिक डिक्री व दिनांक 28.07.2004 को पारित अंतिम डिक्री की अनुपालना हेतु आदेश 21 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2022 को प्रस्तुत किया गया है। डिक्री की अनुपालना के लिए परिसीमा अवधि 12 वर्ष नियत है। अतः यह निर्विवाद है कि प्रार्थीगण द्वारा विहित परिसीमा अवधि 12 वर्ष के भीतर जोकि प्रारंभिक डिक्री के प्रकरण में दिनांक 22.12.2015 तथा अंतिम डिक्री के प्रकरण में दिनांक 28.07.2016 को प्रस्तुत नहीं कर दिनांक 05.05.2022 को लगभग 6.5 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ न तो विलंबकाल माफ किये जाने बाबत न तो कोई प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं न ही इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कथन व निवेदन किया। अतः स्पष्ट है कि उक्त दोनों विधि विहित परिसीमा अवधि 12 वर्ष गुजर जाने के पश्चात प्रभावहीन हो चुकी थीं तथा ऐसी डिक्रियां की अनुपालना कानूनन अनुमत नहीं हैं तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र परिसीमा अवधि बाधित व पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज था। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति पर विचार व निर्णय किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनन भूल की हैं। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 बअनवान अब्दुल रहमान बनाम तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली